Conduct of Elections Rules, 1961 (Statutory Rules And Order) FORM 21D

(See Rule 64)

(For use in election to fill a casual vacancy when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

*Election to the Legislative Assembly of <u>Uttarakhand</u> from <u>7-KEDARNATH</u> Assembly constituency. In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

ASHA NAUTIYAL

VILLAGE DILMI, POST SARI, TEHSIL UKHIMATH, DISTRICT RUDRAPRAYAG sponsored by Bharatiya Janata Party (Recognized political party) has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the death of Smt. Shaila Rani Rawat.

Place: Agstyamuni Date: 23-11-2024

(Anil Kumar Shukla)

Returning Officer

07-KEDARNATH Legislative Assembly Constituency

रिटर्निग ऑफि**सर** M-क्रेदारनाथ विद्या**न सभा** जिल्लोबन क्षेत्र

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (कानूनी नियम और आदेश) प्ररूप 21घ (नियम 64 देखिए)

(आकस्मिक रिक्ति को मरने के लिये निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

07—केदारनाथ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड राज्य की विधानसभा के लिए उप निर्वाचन—2024 निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि— श्रीमती आशा नौटियाल (नाम)

ग्राम दिलमी, पोस्ट सारी, तहसील ऊखीमठ, जिला रूद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड (पता) जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल) द्वारा खड़े किए गए हैं।

उस सदन में श्रीमती शैला रानी रावत की मृत्यु के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थानः अगस्त्यमुनि दिनांकः 23 नवम्बर, 2024

> अनिल कुमार शुक्ला रिटर्निंग आफिसर 07-केदारनाथ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

• रिटर्निम ऑफिसर ⁰⁷-केदारनाथ विधान **सभा** निर्दाचन क्षेत्र